| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**<u>निगरानी / टी.ए. / 3930 / 2004 / चूरु</u>**<br>**दिनेश कुमार बनाम नारायणराम** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **<u>एकल–पीठ</u>**<br>**श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य**<br><br>**उपस्थितः–**<br>(1) श्री दुनीचन्द अभिभाषक प्रार्थी।<br>(2) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण ।<br><br>**<u>निर्णय</u>**<br>**दिनांकः 12.12.22**<br><br>यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पेदन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।<br><br>निगरानी पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।<br><br>दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निगरानीकर्ता दिनेशकुमार को श्रीमति रुपदेवी ने दिनांक 08–06–1990 को गोद पुत्र लेकर दिनांक 11–06–1990 को उप पंजीयक चूरु के समक्ष गोदनामा पंजीबद्ध करवाया। हिन्दू उत्तराधिकर अधिनियम के तहत प्रार्थी दिनेश कुमार प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है और वह लगातार विवादित भूमि पर काबिज चला आ रहा है। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रिज्युडिस होकर मनमाने तौर पर गलत निर्णय पारित किया है। एक बार गोदनामा रजिट्री कराने के बाद बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के खारिज नही कराया जा सकता है और न ही रजि0 गोदनामे को वापिस लिया जा सकता है। सक्षम न्यायालय में गोदनामा निरस्त कराने का वाद पेश किया गया था जो दिनांक 16–09–1993 को खारिज हो गया इसलिए प्रार्थी दिनेश कुमार के गोदनामे को चैलेंज कराने के कानूनी अधिकार समाप्त हो गये हैं जिस पर | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी / टी.ए. / 3930 / 2004 / चूरु**<br>**दिनेश कुमार बनाम नारायणराम** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | ध्यान दिये बिना परीक्षण न्यायालय द्वारा जो गलत निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। यह कि पिटीशनर विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उसको उसके कब्जे शुदा भूमि पर से जबरन बेदखल नही किया जा सकता। इसके अलावा उनका तर्क है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के न तो खातेदार हैं और न ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा है। वे अजनबी व्यक्ति हैं जबकि पिटीशनर स्व0 रुपदेवी का दत्तक पुत्र है तथा उसके गोदनामे को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अपास्त नही किया गया है। उनका यह भी कथन है कि नोन–पिटीशनरस,पिटीशनर नाबालिग दिनेशकुमार की खतोदारी कृषि भूमि को हड़पने तथा उस पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से उसे मुकदमेंबाजी में फसा कर परेशान कर रहे हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी दिनेशकुमार स्व0 रुपदेवी का एकमात्र कानूनी वारिस है तथा विवादित आराजी उसकी माता स्व0 रुपदेवी के नाम से दर्ज चली आ रही है। इसलिए पिटीशनर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य दस्तावेजी,रिकार्ड, कानूनी नजीरें, भूमि का कब्जा आदि को पूर्णतया नजरअन्दाज कर मनमानी तौर पर गलत निर्णय दिये गये हैं। अन्त में निगरानी स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त करने का निवेदन किया गया।<br>6– इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से निगरानीधीन आदेश को उचित व विधि सम्मत बताते हुए तर्क दिया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**<u>निगरानी / टी.ए. / 3930 / 2004 / चूरु</u>**<br>**दिनेश कुमार बनाम नारायणराम** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | आधार पर ही पारित किये गये हैं। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालयों व अपीलीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दुओं पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती है, समवर्ती निर्णयों में हस्तगत निगरानियों के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अन्त में निगरानियों को खारिज करने का निवेदन किया।<br>7— हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।<br>8— अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी / दिनेश कुमार की अभिभाषक की ओर से मुख्य तर्क यह रहा है कि गोदनामे के आधार पर अपीलांट खातेदार काश्तकार हो जाता है। गोदनामा अप्रार्थी के अभिभाषक के अनुसार वापिस निरस्त करवा दिया गया था जिसका कोई आधार नही है जबकि अपीलांट के वकील ने कहा कि गोदनामा सब रजिस्ट्रर द्वारा अपास्त किया गया है जिसे कोई अधिकार नही था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गोदनामा विवादित अवश्य प्रतीत होता है जो मूल दावे में तय होना है। यहॉ पर विवेचन करना आवश्यक नही। अभिभाषक अपीलांट ने अपना कब्जा बताया है और अपीलांट दिनेश कुमार को नाबालिग भी बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि कब्जा भी अपीलांट का नहीं है। अपीलांट सुमेरसिंह ने गॉव वासियों के महजरनामा के आधार पर व वसीयत ,गोदनामा आदि से अपना अधिकार जताया है। ग्राम वासियों के महजरनामा की इस प्रकरण में कोई अहमियत नहीं है। जबकि विवादित वसीयत एवं गोदनाम का अन्तिम निर्णय दावे में ही | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**<u>निगरानी / टी.ए. / 3930 / 2004 / चूरु</u>**<br>**दिनेश कुमार बनाम नारायणराम** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | किया जाना है। इसलिए इस स्तर पर इनका विवेचन आवश्यक नही है। विधि अपने आप में स्पष्ट है कि गोदनामा, वसीयत आदि के बिन्दु दावे के अन्तिम निर्णय में साक्ष्य सबूत लिये जाकर ही निर्णित किये जाते हैं। जहॉ तक विवादित आराजी पर पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का प्रश्न है, विवादित आराजी किसी भी प्रकार से इनमिडयो नही है, जब तक विवादित आराजी इनमिडियों की श्रेणी में नही हो जाती तब तक विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने भी इसी आधार पर अपने निर्णय पारित किये हैं। चूॅकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती व विस्तृत विवेचन के साथ पारित किये गये है, जिनमें हम हस्तगत निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। परिणामस्वरुप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।<br>अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(भवानी सिंह पालावत)<br>सदस्य | |